प्रेस नोट दिनांक 10—02—2021

क्राइम ब्रांच एवं थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को चोरी की पीली धातु व सफेद धातु के टुकडे (चांदी के टुकडे व सोने की गोल गिट्िया), एक लाख रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन व मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तारः—

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे धरपकड अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10—02—2021 को क्राइम ब्रांच एवं थाना मण्डी, सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर हनुमान चौक से शक्लापुरी रोड के पास से 02 शातिर अभियुक्त 1—राजेश कश्यप पुत्र सौराज सिंह निवासी बुड्डाखेडा अहीर थाना गागलहेडी, सहारनपुर 2—उस्मान पुत्र निसार अहमद मरहूम निवासी मक्का बांस थाना गागलहेडी, सहारनपुर को चोरी की पीली धातु व सफेद धातु के टुकडे (चांदी के टुकडे व सोने की गोल गिट्िया), एक लाख रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन व मोटर साइकिल डिलक्स नं0—यूपी 11एक्यू 9551 सहित समय 10.30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना मण्डी पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः—

1—राजेश कश्यप पुत्र सौराज सिंह निवासी बुड्डाखेडा अहीर थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
2—उस्मान पुत्र निसार अहमद मरहूम निवासी मक्का बांस थाना गागलहेडी, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः—

1—चोरी की पीली धातु व सफेद धातु के टुकडे (चांदी के टुकडे व सोने की गोल गिट्िया)।
2—एक लाख रूपये नगद।
3—एक अद्द मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी)।
4—दो अद्द कीपैड मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी)।
5—एक अद्द मोटर साइकिल हीरो एचएस डिलक्स नं0—यूपी 11एक्यू 9551।

पूछताछ का विवरणः—

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमने दिनांक 28—12—2020 की रात्रि को बरामद सामान व पैसे को मौ0 कायस्तान सर्राफा बाजार में माणिक की गलाई की दुकान से शटर फाडकर चुराया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 542/2020 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत किया गया तथा करीब 20 दिन पहले हमने 32 ग्राम सोना जीपीएस गोल्ड टेस्टिंग लैब सरार्फा बाजार वाले को 01 लाख 36 हजार रूपये में बेचा था। जिसमें से 36 हजार रूपये में राजेश ने एक मोबाइल फोन (वीवी कम्पनी) का दुकान से खरीदा था। आज हम दोनों यह सोचकर निकले थे कि सारे माल को बेचकर पैसो को आधा—आधा बाट लेगे, कि पुलिस द्वारा पकडे गये। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः—

1—श्री बिजेन्द्र सिंह रावत प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी, सहारनपुर।
2—उ0नि0 श्री अजय प्रसाद गौड प्रभारी अभिसूचना विंग, सहारनपुर।
3—उ0नि0 श्री जयवीर सिंह प्रभारी स्वाट टीम, सहारनपुर।
4—उ0नि0 श्री अजब सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल, सहारनपुर।
5—उ0नि0 श्वेता शर्मा थाना मण्डी, सहारनपुर।
6—है0का0 458 दिलशाद थाना मण्डी, सहारनपुर।
7—है0का0 482 विजयवीर थाना मण्डी, सहारनपुर।
8—है0का0 447 अमरदीप क्राइम ब्रांच, सहारनपुर।
9—है0का0 598 कुणाल मलिक क्राइम ब्रांच, सहारनपुर।
10—का0 967 कमल कौशिक क्राइम ब्रांच, सहारनपुर।
11—का0 1255 विनित हुड्डा क्राइम ब्रांच, सहारनपुर।
12—का0 815 विपिन कौशिक क्राइम ब्रांच, सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्तिः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–10 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कठिन कारावास की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 19.12.2017 को वादी हुसनैन पुत्र उम्रमौहम्मद नि0 ग्राम भैसानी थाना थानाभवन जनपद शामली की बहन को अभियुक्त सलीम पुत्र मूसा नि0 ग्राम कुण्डा कला थाना गंगोह द्वारा दहेज के लिये प्रताडित करना व न देने पर मृत्यु कारित करने की सूचना पर मु0अ0स0 767/2017 धारा 498ए,304बी,302,34 भादवि व 4 द0अधि0 में थाना गंगोह पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 209/2018 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–10 स0पुर में विचाराधीन था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–10 स0पुर द्वारा आज दिनांक 10.02.21 को अभियुक्त सलीम पुत्र मूसा को मु0अ0स0 767/2017 धारा 498ए,304बी,302,34 भादवि व 4 द0अधि0 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठिन कारावास से दण्डित किया गया।